न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 13/2018 (उदयपुर आर्डर)

1. भूपेन्द्र पिता तख्तसिंह जी राजपूत, निवासी चिकलवास, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
2. दलपत पिता तख्तसिंह जी राजपूत, निवासी चिकलवास, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
3. पृथ्वी पिता तख्तसिंह जी राजपूत, निवासी चिकलवास, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती बदी कुंवर बेवा जसवन्तसिंह जी राजपूत, निवासी चिकलवास, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
5. नाहरसिंह पिता जसवन्तसिंह जी राजपूत, निवासी चिकलवास, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
6. भोपालसिंह (रेस्पोन्डेन्ट द्वारा तथाकथित नाम चन्दनसिंह) पिता जसवन्त सिंह राजपूत, निवासी चिकलवास, तह॰ खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
7. गुमानसिंह पिता प्रतापसिंह जी राजपूत, निवासी चिकलवास, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

धनजी पिता काउवा बलात, जाति मीणा, निवासी चिकलवास, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा
दिनांक 03.01.2018, प्र.सं. 5/2017

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण

———::———

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2020.09.21 11:41:10 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय **दिनांक 18–08–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अपीलान्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 जा. दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पुश्तैनी खाते कब्जे काश्त की आराजी नंबर 1021 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि मौजा चिकलवास में स्थित है, जो प्रार्थी के पिता काउवा पिता गांगा जी मीणा के नाम राजस्व रेकार्ड दर्ज थी। सेटलमेन्ट के दौरान उक्त आराजी के नये नंबर 325 रकबा 0.33 हैक्टर बने जिस पर प्रार्थी मालिकाना हक से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। सेटलमेन्ट के दौरान गलती से नये आराजी नंबर 325 विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी के नाम दर्ज हो गयी, जबकि विपक्षीगण या उनके पूर्वजों का उक्त आराजी से कोई सरोकार नहीं है। विपक्षीगण का उक्त आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा कब्जा निरन्तर प्रार्थी का ही चला आ रहा है। विपक्षीगण काश्त करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 03–01–2018 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए मूलवाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 14–02–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किया गया, किन्तु रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा. दी. का आवेदन प्रस्तुत कर उनके साथ खसरा मिलान व जमाबन्दी संवत् 2032 से 2035, 2036 से 2039, 2041, 2045 से 2048 की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की एवं अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में न्यायहित में उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2020.09.21 11:41:10 IST
Reason: SelfAttested

हमने उक्त आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया, प्रस्तुत समस्त दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां हैं, जिनके फर्जी अथवा बनावटी होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः न्यायहित में उक्त आवेदन स्वीकार कर उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात रेकार्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

वकील अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में दौराने कार्यवाही विपक्षी संख्या 4 कंकू कुंवर बेवा तख्तसिंह का देहावसान दिनांक 01–01–2018 को हो गया फिर भी उसकी नामकायमी संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गयी एवं मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट के खातेदारी की होकर कब्जा अपीलान्टगण का चला आ रहा है। कब्जे के संबंध में कोई भी दस्तावेज रेस्पोन्डेन्ट द्वारा नहीं प्रस्तुत किये जाने के बावजूद कब्जा रेस्पोन्डेन्ट का मानने में अधिनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में मानने में भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट ने विपक्षी संख्या 7 चन्दनसिंह पिता जसवन्तसिंह को बनया, जबकि उसका वास्तविक नाम भोपालसिंह है तथा जयवन्तसिंह के चन्दनसिंह नाम का कोई लड़का नहीं है तथा राजस्व रेकार्ड में भी भोपालसिंह ही दर्ज है, फिर भी रेस्पोन्डेन्ट ने चन्दनसिंह को पुत्र बताकर जो आदेश पारित करवा लिया है वह विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। अपने कथन के समर्थन में आर.बी.जे. (16) 2009 पेज 714, आर.बी.जे. (13) 2006 पेज 21 एवं डी.एन. जे. 2017 पेज 415 (SC) प्रस्तुत की।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन कर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। इस न्यायालय में आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार विवादित भूमि अपीलान्टगण के पूर्वाधिकारी के खातेदारी में दर्ज हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2041 में भी विवादित आराजी नंबर 325 रकबा 0.3300 हैक्टर के खातेदार अपीलान्टगण के पूर्वाधिकारी दर्ज हैं। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त न्यायिक नजीरों के अनुसार खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2020.09.21 11:41:10 IST
Reason: SelfAttested

मात्र प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट के कथनों के आधार पर प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में मान लिया है तथा इसी आधार पर अपूर्णीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में मानकर प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03–01–2018 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देकर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विधि के आलोक में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 19–10–2020 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 18–08–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2020.09.21 11:41:10 IST
Reason: SelfAttested